मनोज दुबे (पिंटु)
पार्षद, वार्ड क्र. 03 वल्लभ नगर वार्ड
उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् दल्ली राजहरा
मोबाईल नं. : 6260586160

भारतीय जनता पार्टी, दल्ली राजहरा

कार्यालय : वार्ड क्र. 03, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.)

पत्र क्रमांक B.J.P/025

दिनांक 25/04/25

प्रति,

माननीय श्री अरूण साव जी,
उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मुख्य नगर पालिका अधिकारी लेखापाल एवं सहायक अभियंता द्वारा 15वें वित्त आयोग द्वारा टाईड मद से लगभग 2.47 करोड़ की खरीदी में आर्थिक अनियमितता की जॉच के विषय में।

महोदय जी,

विषयांतर्गत लेख है कि नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा में 15वें वित्त के टाइड ग्राण्ड इोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत वाहन/उपस्कर क्रय किए जाने के लिए निम्न सामनों बेलिंग मशीन, पानी टैंकर,ई कार्ट फार गार्बेज, मोबाइल टायलेट, इंसीनेटर यूनिट, नाला मेन सक्शन मशीन ट्वीन बिन (स्टील), ट्रायसिकल, टोइंग ट्रेलर मशीन जेम पोर्टज से खरीदी हेतु 2 करोड़ 47 लाख रूपयों की निविदा जारी की गई थी। जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लेखापाल, एवं सहा. अभियंता द्वारा ठेकेदार को लाभ पहुँचाने हेतु भारी अनियमितता बरतते हुए ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जिसकी निम्न बिन्दुओं पर जॉच करवाना चाहते हैं –

(1) सहा. अभियंता द्वारा अपने चहेते ठेकेदार को लाभ पहुँचाने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी से सांठ गांठ कर खुद को जेम पोर्टल का बायर बनाया गया और ठेकेदार के लिए नियम व शर्तो को बिना सक्षम स्वीकृति लिए अलग–अलग सामानों हेतु एक समान नियम शर्तो की झड़ी लगाकर ठेकेदार को लाभ पहुँचाया गया।

(2) मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बिना सामान आए ही लेखापाल के साथ मिलकर ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया, जिसके बाद सामान नगर पालिका में पहुँचा है जिसकी पुष्टि भण्डार शाखा के पंजी के की जा सकती है। भुगतान की तारीख और स्टॉक पंजी की तारीख से मिलान किया जा सकता है।

(3) नगर पालिका में वरिष्ठ अभियंता के रहते आए हुए सामानों का गुणवत्ता परीक्षण भी सहायक अभियंता द्वारा ही किया गया जो कि इसके बायर भी हैं, वह इसलिए क्योंकि इनके द्वारा बिना सामान आए ही भुगतान किया जा चुका था। इस गुणवत्ता परीक्षण भी स्वयं ही इनके द्वारा किया गया।

क्रमशः 2//

Scanned with OKEN Scanner

मनोज दुबे (पिंटु)
पार्षद, वार्ड क्र. 03 वल्लभ नगर वार्ड
उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा
मोबाईल नं. : 6260586160

भारतीय जनता पार्टी, दल्ली राजहरा
कार्यालय : वार्ड क्र. 03, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.)

पत्र क्रमांक.....

दिनांक 25/04/25

(4) महोदय जी, इन सब प्रक्रिया में इन अधिकारियों ने इतनी जल्द बाजी की गई कि बिन को न ही विधिवत रूप से किसी लिपिक के द्वारा बढ़ाया गया और न ही बिल को भंडार शाखा से बढ़ाया गया है।

(5) महोदय जी इन भ्रष्ट अधिकारियों को ठेकेदार को बिना सामान आए भुगतान करने की इतनी जल्दी थी कि बिना पीआईसी/परिषद से सक्षम स्वीकृति लिए बिना ही अग्रिम भुगतान कर दिया गया।

(6) महोदय जी, जिस दिन नगर पालिका में सामान आया उसी दिन स्वच्छता दीदीयों द्वारा सामान खराब होने की शिकायत सामूहिक रूप से नगर पालिका अध्यक्ष को की गई थी, और सीएमओ ने दूसरा सामान मंगवाने का वादा कर इन्ही कर्मचारियों पर दबाव बनवाकर उनसे ही इसको काम में लाने के लिए कहकर इसका उपयोग करवाया गया।

(7) महोदय जी, मार्केट में जो टैंकर 1,65,000/– रूपये में मिलता है, उसे नगर पालिका के अधिकारी द्वारा 4,50,000/– रूपये में और ई रिक्शा जो 1,28,100 रूपये में मार्केट में मिलता है उसे 4,33,000/– रूपये में खरीद कर शासन को लाखों रूपयें की चपत लगाई गई है।

(8) शासन के भंडार नियम का वो केन्द्र शासन के 15वें वित्त के तहत आदेश का पालन नहीं किया गया।

महोदय जी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र वाडेकर जी पूर्व में कोंडागांव नगर पालिका में आर्थिक अनियमितता बरतने पर शासन द्वारा इनको सस्पेंड किया गया है। इनके द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लेकर फिर से आर्थिक अनियमितता बरतते हुए शासन को लाखों रूपयों की चपत लगाई गई है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि 15वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट मद से हुए सामग्री सप्लाई कार्य में हुए भ्रंष्टाचार की जॉच कर दोषी अधिकारियों से वसूली की कार्यवाही की जाऐ।

धन्यवाद,

भवदीय
मनोज दुबे

संलग्न –

1. राजपत्र की छायाप्रति।
2. ई रिक्शा के कोटेशन की छायाप्रति।
3. पानी टैंकर के कोटेशन की छायाप्रति।

Scanned with OKEN Scanner